

# जीएसटी

कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब

अगस्त 2017



CBGA

यह दस्तावेज निजी वितरण के लिए है और यह प्रकाशन निःशुल्क है। इस प्रकाशन की शैक्षणिक एवं अन्य गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए बिना अनुमति पुनः प्रस्तुति की जा सकती है, बशर्ते कि स्रोत का पूर्णतः उल्लेख किया जाए।

कॉपीराइट © 2017 सेण्टर फॉर बजट एण्ड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए)

### **लेखिका**

मालिनी चक्रवर्ती

इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: [malini@cbgindia.org](mailto:malini@cbgindia.org)

### **डिज़ाइन**

कॉमन संस, 1729, सेक्टर 31, गुरुग्राम, हरियाणा

### **प्रकाशक**

**सेण्टर फॉर बजट एण्ड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए)**

बी-7 एक्सटेंशन/110ए (भूतल), हरसुख मार्ग, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029

फोन: ±91-11-49200400/401/402

ईमेल: [info@cbgindia.org](mailto:info@cbgindia.org)

वेबसाइट: [www.cbgindia.org](http://www.cbgindia.org)

# विषयसूची

	परिचय	पेज 2
प्रश्न 1. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्या है?		पेज 3
प्रश्न 2. जीएसटी पिछली अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से कैसे अलग है?		पेज 7
प्रश्न 3. भारत ने दोहरा जीएसटी युक्त मॉडल क्यों अपनाया?		पेज 10
प्रश्न 4. बहु-कर दरों के क्या कारण हैं? बहु-कर दरों के संभावित फायदे और नुकसान क्या हैं?		पेज 12
प्रश्न 5. कुछ वस्तुओं / सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं?		पेज 14
प्रश्न 6. विभिन्न समुदायों पर जीएसटी के संभावित प्रभाव क्या हैं?		पेज 16

## परिचय

भारत में शुरू किए गए सबसे महत्वाकांक्षी कर सुधारों में से एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अब एक वास्तविकता है और यह महत्वपूर्ण है कि इसके विभिन्न पहलुओं को ठीक से समझ लिया जाये।

हालांकि इसके कई प्रभाव बाद में ज्ञात होंगे, परंतु कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

## जीएसटी क्या है?

सभी लोग किसी न किसी रूप में कर का भुगतान करते हैं। जब हम बाजार से कुछ वस्तुएं खरीदते हैं या किसी सेवा का उपभोग करते हैं तो हमें उसके मूल्य में शामिल करों का भी भुगतान करना पड़ता है। हम में से कुछ लोग आय कर का भी भुगतान करते हैं। आय कर प्रत्यक्ष करों के रूप में जाना जाता है क्योंकि हम टैक्स के बोझ को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था पर नहीं डाल सकते। पहले वाली श्रेणी को अप्रत्यक्ष करों के रूप में जाना जाता है क्योंकि करों के बोझ को व्यवसाय से अंतिम उपभोक्ता तक स्थानांतरित किया जा सकता है।

अब तक हमारी कर प्रणाली में बहुत से अप्रत्यक्ष कर थे, जो उत्पादन के स्तर से अंतिम बिक्री तक विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए थे। उदाहरण के लिए, वस्तुओं के विनिर्माण हेतु (केंद्रीय उत्पाद शुल्क), वस्तुओं की बिक्री पर (बिक्री कर), सेवा पर आदि।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों (नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए गए कुछ करों को छोड़कर) को समाहित कर लिया है और उन्हें एक अप्रत्यक्ष कर - **जीएसटी** में बदल दिया है।

## जीएसटी के तहत समाहित कर

### केंद्रीय कर

1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क
2. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
3. औषधीय और प्रसाधन पदार्थ अधिनियम के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क
4. सेवा कर
5. अतिरिक्त सीमा शुल्क, जो काउंटरवेलिंग शुल्क (सीवीडी) के रूप में जाना जाता है
6. विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क
7. अधिभार और उप-कर (भारत में, एक विशिष्ट वस्तु या सेवा पर उपकर लागू है और इसे मौजूदा कर के अतिरिक्त लागू किया जाता है। इसके द्वारा जुटाये गए राजस्व से कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे स्वच्छ भारत उपकर । अधिभार किसी भी कर पर एक अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है, लेकिन अधिभार से प्राप्त राजस्व किसी भी प्रयोजन के लिए खर्च किया जा सकता है)।

### राज्य कर

1. राज्य वैट / बिक्री कर
2. केंद्रीय बिक्री कर
3. मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर के अलावा, जैसे कि नगर पालिकाओं)
4. क्रय कर
5. विलासिता कर
6. लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर
7. विज्ञापन पर कर
8. चुंगी एवं प्रवेश कर (सभी रूपों में)
9. राज्य उप-कर और अधिभार (ये कर जिस सीमा तक वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हों)।

## जीएसटी कर प्रणाली के विभिन्न चरण


जीएसटी एक व्यापक, बहुस्तरीय और गंतव्य उपभोग पर आधारित कर प्रणाली है। अब, इसे बिक्री के हर स्तर पर लगाया जायेगा। मान लिया जाए कि उत्पादन महाराष्ट्र में हो रहा और बिहार में अंतिम बिक्री। चूँकि जीएसटी मूल्य वर्धन के हर स्तर पर लगाया जाता है, इसलिए महाराष्ट्र को उत्पादन एवं भण्डारण के स्तर पर होने वाले मूल्य संवर्धन के चरणों में कर मिलेगा। लेकिन जब उत्पाद महाराष्ट्र से बाहर बिहार के उपभोक्ताओं तक पहुँच जाता है तो अंतिम बिक्री पर संग्रहित कर राजस्व बिहार को मिलेगा न कि महाराष्ट्र को - क्योंकि यह गन्तव्य आधारित कर है।

अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले कोई भी उत्पाद विभिन्न चरणों (जैसे- कच्चे माल की खरीददारी, उत्पादन, भण्डारण, थोक विक्रेता को बिक्री, खुदरा व्यापारी को बिक्री और अंततः उपभोक्ता को बिक्री) से गुजरता है। जीएसटी इन विभिन्न चरणों में लगाया जायेगा। इस तरह यह एक बहुस्तरीय कर व्यवस्था है।


## प्रशासनिक स्वरूप

भारत के संघीय ढांचे के अनुरूप जीएसटी कर प्रणाली के दो घटक हैं - केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)। केंद्र सीजीएसटी के अंतर्गत मूल्य संवर्धन श्रृंखला में अपना कर लगाएगा और कर संग्रह करेगा। राज्य भी अपनी सीमा के अंतर्गत सभी कारोबारों पर एसजीएसटी आरोपित कर कर-संग्रह करेगा। अंतर्राज्यीय कारोबार पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) लगाया जायेगा और केंद्र इस कर का संग्रह करेगा।

आईजीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत अंतरराज्यीय कारोबार से संबंधित विक्रेता अपनी खरीददारी मूल्य पर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट के समायोजन के बाद अपनी बिक्री मूल्य पर केंद्र को आईजीएसटी का भुगतान करेगा। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त एसजीएसटी का क्रेडिट राज्य द्वारा केंद्र सरकार के खाते में डाल दिया जायेगा। केंद्र आईजीएसटी क्रेडिट उपभोक्ता राज्य (आयातक) को हस्तांतरित करेगा। चूँकि जीएसटी उपभोग-गंतव्य पर आधारित अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, इसलिए अंतिम उपभोग पर आरोपित एसजीएसटी का भुगतान उपभोक्ता (आयातक) राज्य को होगा।



इसका मतलब यह है कि अगर 12 प्रतिशत जीएसटी है, पहला 6 प्रतिशत केंद्र को जाता है और दूसरा 6 प्रतिशत राज्य (या संघ राज्य क्षेत्र) को जाता है।



## भारत में अपनाई गई जीएसटी मॉडल की मुख्य विशेषताएं

- ◆ वस्तु और सेवा कर परिषद, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं, नियमों, दर, निर्धारित (थ्रेसहोल्ड) सीमा आदि का फैसला करते हैं।
- ◆ कर मुक्त वस्तु एवं सेवाएँ, मानव उपभोग के लिए शराब, अचल सम्पत्ति, बिजली, जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते और जो लेनदेन निर्धारित सीमा से नीचे हैं, को छोड़कर जीएसटी सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है।
- ◆ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों को फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन बाद में, वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित कर इन्हें जीएसटी कर के अधीन किया जाएगा।
- ◆ निर्माता, व्यापारियों या सेवा प्रदाताओं, जिनका वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपये से कम है (पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 10 लाख रुपये), को जीएसटी के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।
- ◆ अंतरराज्यीय लेनदेन करने वाले व्यापारियों को जीएसटी के लिए पंजीकरण करना होगा, भले ही उनका वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपये से नीचे हो।
- ◆ आयात पर आयात शुल्क जारी रहेगा, जो जीएसटी में शामिल नहीं है। आयात पर आईजीएसटी भी लगेगा, क्योंकि उन्हें माल और सेवाओं के अंतरराज्यीय आवागमन के समान समझा जा रहा है।
- ◆ निर्यात पर कोई कर नहीं दिया जाएगा।
- ◆ केन्द्रीय जीएसटी का प्रशासन केंद्र के पास होगा और राज्य जीएसटी का प्रशासन राज्यों के पास होगा।
- ◆ केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी को केंद्र और राज्यों के खातों में अलग-अलग जमा किया जाना है।
- ◆ कर जमा करने वालों को संबंधित जीएसटी अधिकारियों के पास समय-समय पर रिटर्न जमा करनी होगी।
- ◆ पहले पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्यों को मुआवजा दिया जाएगा, यदि वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण, जीएसटी पूर्व अवधि की तुलना में राजस्व का कोई नुकसान हो।



## जीएसटी पिछली अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से कैसे अलग है?

### अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाता है

जीएसटी विधेयक के पारित होने से पहले अप्रत्यक्ष करों की व्यवस्था के संबंध में भारत के संविधान ने सरकार के विभिन्न स्तरों पर केंद्र सरकार, स्थानीय और स्थानीय निकायों की कराधान शक्तियों की सीमा तय की थी। इस प्रकार, केंद्र के पास वस्तुओं के निर्माण (मानव उपभोग के लिए, अफीम, नशीले पदार्थों, मादक शराब को छोड़कर), आयात और सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार था, लेकिन वस्तुओं की बिक्री पर नहीं। दूसरी ओर राज्यों को माल की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार था, लेकिन सेवाओं या आयातों पर नहीं। माल के अंतरराज्यीय कारोबार के लिए केंद्रीय बिक्री कर था, जिसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था लेकिन राजस्व को राज्य द्वारा एकत्र किया जाता था जहां से माल की आपूर्ति की जा रही थी। इन के अतिरिक्त, कई अन्य कर भी लगाए गए थे। प्रायः राज्य द्वारा आरोपित कर की दरों में भिन्नता होती थी।

करों के इस विभाजन ने करों की एक जटिल भूलभुलैया को जन्म दिया था। कर की जटिलता ने करदाताओं के लिए कर अनुपालन कठिन बना दिया था। इससे कर-चोरी को भी प्रोत्साहन मिलता था।

जीएसटी, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को एक कर-छतरी के तहत लाकर, केन्द्र और राज्य स्तर के करों एवं शुल्कों की कराधान प्रणाली को सरल बनाने की क्षमता रखती है। इसलिए, चाहे वस्तु निर्माण या वितरण किसी भी अवस्था में हो, उस पर अलग-अलग किस्म के कर लगाने के बजाय अब सभी चरणों में केवल जीएसटी लगाया जाएगा।

### करों के प्रपाती बोझ (कैस्केडिंग प्रभाव) को कम करता है

बड़ी संख्या में करों का यह भी मतलब होता है कि उत्पादन के स्तर से लेकर वस्तु की अंतिम बिक्री तक कई बार कर लगाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर साबुन की टिकिया को लें, पहले कारखाने के गेट पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता था, फिर जब साबुन की टिकिया विनिर्माण से थोक विक्रेताओं के पास पहुँचती तो बिक्री कर लगता था और जब यह खुदरा दुकान पर पहुँचती तो फिर राज्य वैट और कुछ अन्य कर लगते थे। इस प्रकार, आपूर्ति श्रृंखला के हर चरण में, कर लगाए जाते थे, जिससे करों का व्यापक बोझ (कैस्केडिंग) उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ता था। पहले से आरोपित और चुकाए गए कर पर भी कर की वसूली की जाती थी और इस कर-बोझ प्रपात के कारण उपभोक्ताओं पर करों का भार बढ़ जाता था।

करों के प्रपाती बोझ की समस्या को कम करने के लिए, वैल्यू ऐडड कर (वैट) को समय-समय पर केंद्र और राज्यों के स्तर पर पेश किया गया था। वैट के पीछे का विचार यह है कि यह इनपुट पर भुगतान किए गए करों को वापस (सेट ऑफ) करने के प्रावधान के साथ, आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर 'मूल्य वर्धन पर ही कर लगाया जाए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में केवल मूल्य वर्धन पर कर लगाया गया है, **इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी)** की व्यवस्था लायी गई थी, जिसके द्वारा इनपुट पर पहले से ही चुकाए गए करों को उत्पादन कीमत पर अदा किए गए करों से कटौती की जा सकती थी।

हालांकि, वैट के साथ एक बड़ी समस्या यह थी कि करों के

**मूल्य वर्धन** फर्म के उत्पाद की बिक्री मूल्य और उत्पादन में खपत कच्चे माल की कीमत के बीच का अंतर है।

या तैयार उत्पाद की कीमत (100) - कच्चे माल की कीमत (50) = मूल्य वर्धन (50)

मुआवजे का प्रावधान पूरी आपूर्ति श्रृंखला में उपलब्ध नहीं था। उदाहरण के लिए, विक्रेता पिछली खरीद पर भुगतान किए गए राज्य वैट के बदले में आईटीसी का दावा कर सकते थे, लेकिन उत्पाद में पहले से ही लगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सेवा कर के बदले में नहीं। इसका मतलब था कि कुछ वस्तुओं पर सेंट्रल वैट (सेनवैट), राज्य वैट के तहत वस्तुओं के मूल्य पर लगाए गए कर में शामिल रहा था। चूंकि एक ही वस्तु पर बार-बार कर लगाया जा रहा था - एक बार केंद्र द्वारा और फिर राज्य द्वारा - फलतः आईटीसी करों के प्रपाती बोझ (कैस्केडिंग) को पकम करने में समर्थ नहीं हुआ।

जीएसटी वैट की तरह ही एक कर है, इसमें अंतर है कि जीएसटी के तहत आईटीसी की व्यवस्था उत्पादन की शुरुआत से लेकर वस्तु और सेवाओं की अंतिम खुदरा बिक्री तक की आपूर्ति श्रृंखला के हर स्तर पर उपलब्ध होगी। इस प्रकार, इससे पहले की व्यवस्था के विपरीत, जिससे राज्य वैट के खिलाफ सेंट्रल वैट के लिए आईटीसी की अनुमति नहीं थी, जीएसटी ने इस तरह के प्रतिबंध को हटा दिया है और पूरी मूल्य संवर्धन श्रृंखला में आईटीसी के निर्बाध प्रवाह की अनुमति दे दी है। इसलिए जीएसटी, टैक्स क्रेडिट की व्यापक और निरंतर व्यवस्था के साथ, **करों के प्रपाती बोझ (कैस्केडिंग) की समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है।**

उत्पादन/ आपूर्ति की प्रक्रिया में उपयोग किए गए इनपुट या कच्चे माल की लागत में कच्चे माल के सप्लायर द्वारा अदा किये गए कर शामिल हैं। आईटीसी की प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि आउटपुट की कीमत पर चुकाए जाने वाले कर में से इनपुट पर चुकाए गए कर को घटाकर शेष कर राशि चुकाने का अवसर हो। संक्षेप में, आईटीसी का मतलब है कि जब आउटपुट पर टैक्स का भुगतान किया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता पहले से ही इनपुट्स पर दिए गए करों को घटा सकते हैं या सेट ऑफ कर सकते हैं।

## भारत ने दोहरा जीएसटी युक्त मॉडल क्यों अपनाया ?

हमारे संविधान की राजकोषीय संघवाद की भावना के अनुसार, केंद्र और राज्यों दोनों को उचित कानूनों के माध्यम से करों को लगाने और एकत्र करने की शक्तियाँ सौंपी गई हैं। सरकार के दोनों स्तरों पर विशिष्ट जिम्मेदारियों का निर्वाह किया जाता है, जिसके लिए उन्हें संसाधन जुटाने की जरूरत होती है। हम जानते हैं कि राज्यों पर लोक कल्याण की जिम्मेवारियां उसके संसाधन उगाही के अधिकार एवं क्षमता की तुलना में अधिक हैं। इसके विपरीत, केंद्र की संसाधन उगाही के क्षमता एवं अधिकार क्षेत्र तुलनात्मक रूप में उसकी जिम्मेवारियों से अधिक हैं। इसलिए राज्यों को अपनी लोक कल्याणकारी जिम्मेवारियों के बजटीय प्रावधानों के लिए केंद्र द्वारा वितरित संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक विकल्प एकल जीएसटी हो सकता है, जिसका मतलब होगा कि सभी कर केन्द्र द्वारा एकत्र किए जाएंगे और फिर राज्यों में वितरित किए जाएंगे। इससे करों के केंद्रीयकरण में वृद्धि होती और संवैधानिक प्रावधान के आधार पर और राजस्व दोनों दृष्टि स्वीकार्य नहीं होते। इसलिए, दोहरी जीएसटी राजकोषीय संघवाद की संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है।


जीएसटी वास्तव में अलग-अलग तरीकों से देश में राजकोषीय संघीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है। एक दृष्टिकोण यह है कि जीएसटी ने भारत के राजकोषीय संघीय संबंधों के मूलभूत क्रम को **सहकारी संघवाद** के रूप में बदल डाला है। एक तरफ, केंद्र और राज्य दोनों ने करों के अपने विशेष अधिकार क्षेत्र को छोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर, दोनों को नए कर उगाही के अधिकार मिले हैं। इसके अलावा, जीएसटी परिषद की संरचना ऐसी है कि राज्यों की परिषद में दो-तिहाई वोट हैं और वे निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। हालांकि केंद्र के पास एक तिहाई वोट हिस्सेदारी के साथ वीटो शक्ति है, फिर भी किसी निर्णय को पारित करने के मकसद से आवश्यक तीन-चौथाई बहुमत तक पहुंचने के लिए कई राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। इसलिए, वैधानिक दृष्टि से केंद्र और राज्य समान स्तर पर हैं क्योंकि एक दूसरे के समर्थन के बिना कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है।

दूसरी ओर, कुछ विश्लेषकों का मत है कि देश के विभिन्न राज्य विकास मानकों एवं संसाधन उगाही की क्षमताओं की दृष्टि से अलग-अलग पायदानों पर खड़े हैं। राज्यों को अपनी संवैधानिक लोक कल्याणकारी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए संसाधन उगाही की स्वायत्तता होनी चाहिए, अर्थात् अपनी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार वे वस्तुओं एवं सेवाओं पर अलग-अलग दरों से कर लगाएं। विद्वानों का मत है जीएसटी के अंतर्गत राज्य जीएसटी परिषद् की अनुमति के बिना अपनी जरूरतों के हिसाब से कर उगाही की दर निश्चित नहीं कर सकते। इस तरह जीएसटी प्रणाली राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को सीमित कर देता है। कुल मिलाकर, जीएसटी प्रणाली की दोहरी करारोपण की व्यवस्था को सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित के माध्यम के रूप में देखा जा सकता है। हालाँकि इससे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता सीमित होने की संभावना है।

# 4

## कई कर दरों के कारण क्या हैं? इसके संभावित फायदे और नुकसान क्या हैं?

कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक, 'आदर्श' जीएसटी में शून्य दर और बहुत कम छूट के अलावा, एक या दो दरें होनी चाहिए। कई विकसित देशों में जीएसटी का प्रारूप ऐसा ही है। हालांकि, भारत ने विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं और सेवाओं के लिए कई कर दर वाले जीएसटी मॉडल को अपनाया है। विभिन्न श्रेणी की वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले निम्न पांच व्यापक जीएसटी स्लैब / दरें हैं:



उपरोक्त के अलावा दो और कर दर हैं:

- ◆ कच्चे हीरे, कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25%; तथा
- ◆ सोने, चांदी, सिक्कों, आदि पर 3%

इसके अलावा, कुछ वस्तुओं जैसे कि तम्बाकू और संबंधित उत्पादों, एरेटेड पेय, लक्जरी कार, आदि पर सर्वोच्च (पीक) दर से अधिक कर लगाया जाना है।

भारत में कई दर वाले जीएसटी मॉडल अपनाने का निर्णय इसलिए लिया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जीएसटी मॉडल क्रियान्वित करने की वजह से होने वाले अवांछनीय प्रभाव से बचा जा सके ये दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं:

- ◆ मौजूदा स्तरों से राजस्व संग्रह में बड़ी गिरावट की सम्भावना;
- ◆ मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि

उदाहरण के लिए, यदि सभी वस्तुओं के लिए केवल एक या दो उच्च कर दरों का चयन किया जाता, तो इससे बड़े पैमाने पर उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर वर्तमान के मुकाबले उच्च दर पर कर लग सकता था, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती थी। इसके अलावा, चूंकि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, तो इससे गरीबों पर सबसे ज्यादा प्रतिकूल असर पड़ता। कम एकल दर या कुछ कम दरों से भी समस्या पैदा होती, क्योंकि इससे राजस्व में काफी गिरावट आ सकती थी।

**कई दर होने के लाभ निम्न हैं:**

- ◆ यह राजस्व संग्रहण को बनाए रखने में मदद करता है;
- ◆ यह वस्तु और सेवाओं की कीमतों पर अंकुश रखने में मदद कर सकता है।

**कई दर होने के निम्न नुकसान हैं:**

- ◆ कर प्रणाली अधिक जटिल हो जाती है, कम से कम कुछ हद तक यह कराधान को सरल बनाने के जीएसटी के उद्देश्य के विपरीत है।
- ◆ यह विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण सम्बन्धी विवादों की संभावना को जन्म देता है और साथ ही इससे कर चोरी को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।

## कुछ वस्तुओं/सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है और इसका नतीजा क्या हो सकता है?

कई महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। जबकि मानव उपभोग हेतु मदिरा, बिजली, रियल एस्टेट जीएसटी से बाहर रहेंगे। पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी से अस्थायी रूप से बाहर रखा गया है और जीएसटी परिषद इसे जीएसटी के तहत लाने के समय का फैसला करेगी। तब तक, इन सभी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वैट लागू रहेंगे।

### जीएसटी से अलग रखने होने का कारण:

इन वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखने का एक मुख्य कारण यह है कि विभिन्न राज्यों द्वारा अर्जित कुल कर राजस्व का 40 % से 50% इनसे मिलता है। चूंकि यह स्पष्ट नहीं है कि जीएसटी राज्य के राजस्व पर कैसे असर डालेगा, इसलिए इन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है ताकि राज्यों और केंद्र के पास इनके माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने की गुंजाइश बनी रहे।



## संभावित नतीजे:

हालांकि इन्हें जीएसटी से बाहर के कथित लाभ कम हो सकते हैं:

- ◆ पेट्रोलियम उत्पाद (विशेषकर डीज़ल, केरोसिन, पेट्रोल) की कीमतें सामानों की आवाजाही की लागत को प्रभावित करती हैं। साथ ही, ये कई औद्योगिक उत्पादनों में साधनों के रूप में प्रयोग में लाये जाते हैं। यदि, राजस्व बढ़ाने के लिए इन पर कर बढ़ाया जाता है तो इससे अन्य सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो सकती है।
- ◆ शराब और अचल संपत्ति दोनों व्यवसायों को काले धन के आश्रय के रूप में जाना जाता है। इसलिए उन्हें जीएसटी से बाहर रखने का मतलब है कि संदिग्ध लेनदेन को कम करने की संभावना को निरस्त करना।

## विभिन्न समूहों पर जीएसटी के संभावित प्रभाव क्या हैं?

जीएसटी विभिन्न समूहों जैसे सरकार (राज्य सरकारों सहित), व्यवसायी और उपभोक्ताओं को किस तरह प्रभावित करेगी, इस समय यह स्पष्ट रूप से समझ पाना मुश्किल है, इसलिए हम संभावित प्रभावों में से कुछ पर चर्चा कर सकते हैं।

### सरकार की राजस्व उगाही पर प्रभाव

सरकार के लिए, मुख्य मुद्दों में से एक यह है कि जीएसटी को अपनाने से कर राजस्व किस प्रकार प्रभावित होगा।

**यह उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी के कार्यान्वयन से राजस्व संग्रहण बढ़ेगा।** इसका कारण यह है कि जीएसटी की वजह से अनुपालन कर को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि आईटीसी का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक लेनदेन को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इस वजह से, कर क्रेडिट की श्रृंखला में अब लेनदेनों का छुपाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा, यह माना जा रहा है कि व्यवसायी/डीलर/ खुदरा विक्रेताओं को करों से बचने के लिए कम प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि उन्हें पता है कि वे एक स्तर पर भुगतान किए गए कर को अगले चरण में ऑफ-सेट कर सकते हैं। इससे टैक्स नेट में अधिक संख्या में उन लोगों/ उद्यमों को लाने में मदद मिलेगी, जो पहले कर का भुगतान नहीं कर रहे थे। बेहतर अनुपालन और बड़ी संख्या में लोगों/उद्यमों द्वारा करों का भुगतान करने से राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है।

**केंद्र सरकार के लिए,** स्वच्छ भारत उपकर, कृषि कल्याण सेस (जिसका एक बड़ा हिस्सा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाये कर से एकत्र होता है) जैसे विशिष्ट उप-करों को हटाने से इन स्रोतों से राजस्व का काफी नुकसान हो सकता है। हालाँकि, केंद्र अब राज्यों द्वारा उगाही किये जाने वाले अप्रत्यक्ष कर राजस्व के एक हिस्से को प्राप्त कर सकेगा।

**राज्य सरकारों के लिए राजस्व पर जीएसटी का प्रभाव उनके आर्थिक समृद्धि के स्तर पर निर्भर हो सकता है:**

यह देखते हुए कि जीएसटी गंतव्य-आधारित उपभोग कर है, माल और सेवाओं की आपूर्ति पर अर्जित राजस्व उस राज्य को जाता है जहां अंतिम बिक्री होती है। नतीजतन, आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जिन राज्यों से उत्पाद और सेवाओं का उद्भव हुआ है, उनको राजस्व का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि वस्तुओं के अंतरराज्यीय परिवहन पर 2 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी), जिसे वे एकत्र करते थे एवं स्वयं रखते थे, को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, पहले के विपरीत, जब महाराष्ट्र में उत्पादित वस्तुओं के लिए महाराष्ट्र कर राजस्व अर्जित करता, अब जीएसटी व्यवस्था में इसकी बिहार में अंतिम खपत होने पर बिहार कर राजस्व अर्जित करेगा।

हालांकि यह साफ नहीं है कि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को, जो शुद्ध उपभोक्ता हैं (ये राज्य निर्यात के मुकाबले अन्य राज्यों से वस्तु और सेवाएं अधिक आयात करते हैं), कितना लाभ हासिल होगा। इसका कारण यह है कि अधिक आर्थिक गतिविधियों की वजह से उत्पादक राज्य अधिक समृद्ध होते हैं और आमतौर पर यहाँ उपभोग का उच्च स्तर भी होता है। इसी तर्क से, कम क्रय शक्ति वाले गरीब राज्यों की खपत का निम्न स्तर होने की संभावना है; इसलिए इनको कर राजस्व में लाभ ज्यादा नहीं हो सकता है।

साथ ही, उत्पादक राज्यों को अब सेवाओं पर कर लगाने का अवसर मिलेगा, जो वे पहले नहीं कर सकते थे। चूंकि क्रय शक्ति से सेवाओं की खपत बढ़ जाती है, इसलिए सम्पन्न राज्यों को गरीब राज्यों से ज्यादा लाभ मिल सकता है।

## व्यवसाय

यह उम्मीद है कि जीएसटी कर अनुपालन और नये व्यवसायों को बढ़ावा देगा। साथ ही, वे फर्म जो पहले करों का भुगतान नहीं करते थे, अब कर नेट के तहत आएंगे। हालाँकि, जीएसटी के प्रभाव एक तरफ बड़े व्यापारिक घरानों, और दूसरी ओर, छोटे और सीमांत उद्यमों के लिए बहुत भिन्न हो सकते हैं।

**बड़े व्यवसायों** के लिए, एक समान कर दर करने से निम्न मदद मिल सकती है:

- ◆ आपूर्ति श्रृंखला को अधिक कुशल बनाने में;
- ◆ परिवहन समय कम करने और वस्तुओं और सेवाओं के अंतरराज्यीय परिवहन लागत कम करने में,
- ◆ करों के भारी बोझ (कैस्केडिंग) में कमी के कारण व्यापार की कुल लागत कम करने में।

**छोटे व्यवसायों** (विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र) को, जीएसटी के तहत करों का भुगतान नहीं करने का लाभ मिलता है, यदि उनका कारोबार 20 लाख रुपये से कम (पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 10 लाख रुपये)। इसका मकसद छोटे व्यवसायों को नियमित रिटर्न भरने, बिल और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने की चुनौतियों से बचने में मदद करना है। अभी भी छोटे व्यवसायों के सामने कुछ अन्य चुनौतियाँ विद्यमान हैं-

- ◆ छोटी फर्मों (निर्धारित सीमा से नीचे) को उनके ग्राहकों/फर्मों द्वारा जीएसटी के तहत रजिस्टर करने के लिए विवश किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि ऐसी छोटी फर्मों जो जीएसटी नेटवर्क में पंजीकृत नहीं हैं, के ग्राहक/फर्मों को इन छोटी फर्मों द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं के लिए आईटीसी प्राप्त नहीं हो सकेगा।
- ◆ लेकिन जीएसटी के तहत अनुपालन आवश्यकताओं के अनुरूप - आवश्यक करों का भुगतान, समय-समय पर रिटर्न दाखिल करने के लिए लोगों की भर्ती करने, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता, आदि से - उनकी लागतें बढ़ सकती हैं और उनमें से बहुत सारी इकाईयां उद्योग से बहार हो सकती हैं।

## उपभोक्ता

उपभोक्ताओं पर जीएसटी का प्रभाव निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करेगा-

### ◆ वर्तमान दरों से जीएसटी दर में क्या अंतर है

उपभोक्ताओं के लिए, वस्तुओं की कीमतों पर इसके प्रभाव मिश्रित हो सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के साथ, अनब्रांडेड खाद्य उत्पादों जैसे अनाज, दाल, फल, सब्जी इत्यादि जैसी बुनियादी उपभोग की कई वस्तुओं को शून्य कर ब्रेकेट में रखा गया है। अन्य मदों की कर दरें 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत रखी गई हैं। इस प्रकार, कुछ वस्तुओं के लिए कर कम हो सकते हैं और कुछ अन्य के लिए यह बढ़ सकता है।

जहां तक सेवाओं की बात है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का एक बड़ा हिस्सा है, चूंकि कई सेवाओं पर कर बढ़ना तय है तो उनकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं।

### ◆ क्या लागत में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचता है?

यह जरूरी नहीं है कि आईटीसी से होने वाली लागत में गिरावट का लाभ कम कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं तक पहुंचे। पहले की वैट प्रणाली इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस समस्या का निवारण करने के लिए, जीएसटी विधेयक की लाभ प्रतिरोधी धारा (एंटी-प्रॉफीटियरिंग क्लॉज) यह सुनिश्चित करेगी कि निर्माताओं द्वारा - कम कर दर या उच्च इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण, या दोनों के कारण प्राप्त लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। यह देखा जाना शेष है कि यह क्लॉज कैसे लागू होती है और कीमतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।

### ◆ क्या जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए उत्पादों के मूल्य/ कीमतों में वृद्धि होती है?

विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की वजह से इसकी कीमतों पर होने वाले प्रभावों को समझने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, पेट्रोलियम कंपनियां अपनी उत्पादन साधनों (रिग, मशीनरी आदि) पर जीएसटी का भुगतान करेगी। चूंकि पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, वे इन करों को अपने उत्पादित पदार्थों पर लगे करों के भुगतान में 'ऑफसेट' नहीं कर सकती हैं। इस तरह, पेट्रोलियम कंपनियों की लागत बढ़ेगी। बढ़ी लागत को उत्पाद-मूल्य बढ़ाकर वसूल किया जायेगा और मुद्रास्फीति की दर बढ़ने का खतरा बना रहेगा।

## सीबीजीए: परिचय

सीबीजीए नई दिल्ली स्थित एक निष्पक्ष, लाभ-निरपेक्ष नीति अनुसंधान संगठन है। यह सरकार के बजट का गहन विश्लेषण करते हुए जनता के विचारों को जानने का प्रयास करता है; यह अनेकों नीतिगत मामलों पर बारी की से विश्लेषण करते हुए जान सहभागिता को बढ़ावा देने का भी प्रयास करता है।

सीजीबीए के कार्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट देखें

[www.cbgaindia.org](http://www.cbgaindia.org) या हमें लिखें: [info@cbgaindia.org](mailto:info@cbgaindia.org)

कृपया सरकारी बजट के आंकड़ों के लिए ओपन डेटा पोर्टल देखें:

[www.openbudgetindia.org](http://www.openbudgetindia.org)



**सेण्टर फॉर बजट एण्ड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए)**

बी-7 एक्सटेंशन/110ए (भूतल), हरसुख मार्ग, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029

फोन: ±91-11-49 200 400/401/402

फैक्स: ±91-11-40 504 846

वेबसाइट: [www.cbgaindia.org](http://www.cbgaindia.org)